2012/00254

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 217/2012 (रसद अपील)

प्रदीप जोनवाल उचित मूल्य दुकान 588 ए, जयपुर शहर जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 19.02.2010 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 241/2009 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 588 ए, का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया ।

उपस्थित :–

1. श्री जे॰ एन॰ पाण्डे अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. .पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय खाद्य आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 29.06.2012 से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2010 को निरस्त कर उभय पक्ष को सुन कर मैरिट पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित किया है।
2. अपील रिमाण्ड हो कर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जे॰ एन॰ पाण्डे उपस्थित है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि दिनांक 27.08.2009 को प्रवर्तन निरीक्षक जयपुर शहर के द्वारा अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें कुछ अनियमितताए जो कि वास्तव में अनियमितताए है ही नहीं, बता कर दिनांक 31.08.2009 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (1) जांच दल द्वारा दुकान नं॰1/47 शिप्रा पथ मानसरोवर में राशन की दुकान जांच करने पर मकान मालिक ने उनकी दुकान में राशन की दुकान नहीं होना बताया। मकान के सामने केरोसीन तेल वितरण किया जाता है। (2) डीलर का अंकित निवास 124/73 अग्रवाल फार्म जयपुर में नहीं रहना पाया गया। (3) डीलर द्वारा ए पी एल गेहूं का वितरण 125/258 मानसरोवर जयपुर पर किया जाता है, जो वक्त जांच बन्द पाई गई तथा दुकान को सील किया गया । (4) वक्त निरीक्षण दिनांक 28.08.2009 को प्रातः 8.30 बजे से 11.30 बजे तक मौके पर इन्तजार करने के उपरान्त भी डीलर उपस्थित नही हुआ। दिनांक

जिला कलक्टर
जयपुर

08.01.2010 को पुनः अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण किया जाना बता कर एक और नोटिस अपीलार्थी को दिया गया। जिसमें अपीलार्थी पर आरोप लगाया कि भौतिक सत्यापन करने पर 130 किलो गेहू कम पाया गया और मौके पर यूनिट रजिस्टर पेश नहीं किया गया । इस नोटिस का जबाब 19.01.2010 को देने हेतु पाबन्द किया गया । जिसका जबाब अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिये गये जबाब दिनांक 19.02.2010 से प्रत्यर्थी पूर्णतः सहमत परन्तु उसने अपीलार्थी की दुकान को निरस्त करने का एक बहाना बना लिया कि वह जयपुर शहर में जयलाल मुन्शी के रास्ते में रहता है और जब अपीलार्थी ने निर्धारित तिथि 19.02.2010 को प्रत्यर्थी के समक्ष अपना जबाब प्रस्तुत किया तो तुरन्त ही प्रत्यर्थी ने उसी समय अपना मन माना व दुर्भावनापूर्ण आदेश सुना दिया, कि तुम्हारी दुकान निरस्त की जाती है जो विधि के स्थापित सिद्वान्तों के प्रतिकूल है। चूंकि प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी ने तो दुकान निरस्त करने का मानस पूर्व से ही बनाया हुआ था। इसलिए जांचकर्ता प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच के दौरान अपीलार्थी के द्वारा गेहूं वितरण करने के लिए जो स्थान किराये पर लिया था तथा उसकी सूचना दिनांक 20.05.2009 को संबंधित क्षेत्रिय प्रवर्तन अधिकारी को दे दी गई थी व उसकी एक छाया प्रति मौके पर जांच के दौरान प्रवर्तन निरीक्षक को दे दी गई थी। जिसका उल्लेख निरीक्षण दल ने अपने मौका पर्चा दिनांक 09.09.2009 में किया है, परन्तु निर्णय करते समय जिला रसद अधिकारी ने अपने ही अधीनस्थ प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत किये गये अतिमहत्वपूर्ण दस्तावेज को नहीं देख कर तुरत फुरत अपना निर्णय सुना दिया। अपीलार्थी को दिनांक 21.01.2006 को 1051/2006 प्राधिकार पत्र जारी किया गया था और 1/47 जनार्दन पाण्डे के मकान में अपीलार्थी ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था तब से वह उसी स्थान पर वितरण कार्य करता आ रहा था। प्राधिकार पत्र मिलने की अवधि से अगस्त 2009 तक प्राप्त केरोसीन का भौतिक सत्यापन तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक/अधिकारियो के द्वारा हर माह 1/47 पर ही किया जाता रहा है तथा केरोसीन का वितरण भी इसी स्थान पर किया जाता रहा है । यदि यह स्थान अपीलार्थी के द्वारा अवैद्य रूप से व्यवसाय हेतु काम में लिया जा रहा होता तो पूर्व के निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा कभी ना कभी तो अपीलार्थी के विरूद्व इस आशय की रिपोर्ट तैयार कर के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते, परन्तु पिछले 3 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इससे यह सिद्व होता हे कि अपीलार्थी निश्चित स्थान पर व्यवसाय कर रहा था। अपीलार्थी को प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि अर्थात 21.01.2006 से मई 2009 तक वितरण हेतु किसी प्रकार का गेहूं का आवंटन नहीं किया गया था माह मई में प्रथम बार एपीएल का गेहूं वितरण हेतु अपीलार्थी को दिया गया जिसका वितरण मोहम्मद असलम के मकान पर किया गया था और उसकी सूचना दिनाक 20.05.2009 को गेहूं प्राप्त होने से पूर्व ही क्षेत्रिय कार्यालय मे दे दी गई थी। जिसकी एक छाया प्रति वक्त निरीक्षण दिनांक 09.09.2009 को निरीक्षण दल को उपलब्ध करा दी थी। फिर भी जिला रसद अधिकारी ने सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों तथा अपने अधीनस्थ प्रर्वतन निरीक्षक की रिपोर्ट को जानबूझकर नजर अन्दाज कर उक्त विवादास्पद निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। निरीक्षण दल ने दिनांक 27.08.2009 को वक्त निपरीक्षण तथाकथत रूप से जनार्दन पाण्डे के बयान ले कर ामिल पत्रावली किये है उसमें वास्तविकता ही बताई है। क्योंकि अपीलार्थी को 21.01.2006 से मई 2009 तक किसी प्रकार के गेहूं का आवंटन नहीं हुआ था इसलिए जनार्दन पाण्डे यह कैसे बता देते कि यहां गेहूं का वितरण होता था। उन्होंन अपने बयान में इस वास्तविकता को भी स्वीकार किया

जिला कलक्टर
जयपुर

है कि मेरे मकान के सामने केरोसीन का वितरण किया जाता है, तो इसमें क्या गलती है यदि अपीलार्थी केरोसीन के ड्रम प्राधिकार पत्र में दर्ज व्यवसाय स्थल पर नही होते तो प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा अपनी निरीक्षण दिनांक 27.08.2009 को जब्त कर किये गये होते। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और जो आरोप लगाये गये है वे आरापों की श्रेणी में है ही नहीं, परन्तु जिला रसद अधिकारी ने इस बयानों का गलत अर्थ निकाल कर अपीलार्थी की दुकान को निरस्त करने का आधार बना लिया तथा पूर्व में बनाये गये मानस के अनुसार अपीलार्थी की दुकान का बिना किसी ठोस कारण व अनियमितता के निरस्त कर दी। अपीलार्थी द्वारा पारित निर्णय में लिखा है कि अपीलार्थी के जयपुर शहर स्थित जय लाल मुंशी के रास्ते में स्वयं के मकान में रहने से वितरण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है इसका कोई विस्तृत विवरण पारित निर्णय दिनांक 19.032.2010 में नही दिया है। प्राधिकार पत्र की शर्तो में यह कहीं अंकित नही है कि डीलर उसी स्थान पर रहेगा जिसमें उसकी दुकान स्थित है। इसके अतिरिक्त किसी उपभोक्ता की वितरण के संबंध में कोई शिकायत ना तो अप्रार्थी के समक्ष दी गई थी और ना ही क्षेत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक को ही दी थी और ना ही निरीक्षण रिपोर्ट फर्द मौका में भी इसका कोई उल्लेख है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी ने कल्पना के आधार पर ही अपीलार्थी की दुकान निरस्त करने की बदनियती से यह सोच लिया कि विरतण कार्य पर प्रतिकूल असर पडता है। जबकि ऐसा कुछ भी नही हुआ और ना ही किसी उपभोक्ता को अपीलार्थी के शहर में रहने के कारण कोई परेशानी ही हुई थी और ना ही कोई आपत्ति थी। इस आधार पर दुकान को निरस्त किया जाना न्यायिक सिद्वान्तों के विरूद्व है। अतः अपील स्वीकार फमावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से सुयोग्य पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी डीलर द्वारा निवास स्थान व वितरण स्थल दोनों की गलत बताये गये तथा दोनों स्थलों पर हरना/वितरण करना नहीं पाया गया । व्यवसाय स्थल 1/47 पर व्यसाय नहीं करने बाबत डीलर का यह कथन कि दो भाईयों का हिस्सा होने के कारण दूसरे भाई ने दुकान इस पते पर नहीं चलना कह दिया। दूसरे भाई के रिश्तेदार होने के संबंध में डीलर द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। डीलर का व्यवसाय स्थल व निवास स्थल से दूर होने के कारण भी डीलर के वितरण कार्य पर असर पडता है तथा अनावश्यक रूप से उपभोक्ता भी परेशान होते है। दुकान बन्द रखना यहां तक कि गेहूं का वितरण का स्थल ही नही बताना तथा केरोसीन वितरण का स्थल किराये पर नहीं लेना पाया गया । अपीलार्थी को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने का दोषी पाये जाने के कारण उसकी धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत व उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एव उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने आवंटित केरोसीन को अपने व्यववसाय स्थल के बाहर ड्रमों में भर कर उपभोक्ताओं को वितरण किया जाना बताया है जिसकी पुष्टि जनार्दन पाण्डे के बयानों से होती है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि अर्थात 21.01.2006 से मई 2009 तक वितरण हेतु किसी प्रकार के गेहूं का आवंटन नहीं किया गया था, माह मई 2009, में प्रथम बार बी पी एल का गेहूं

वितरण हेतु अपीलार्थी को दिया गया जिसका वितरण मोहम्मद असलम के मकान पर किये जाना पाया गया है उसकी सूचना दिनांक 20.05.20019 को गेहूँ प्राप्त होने से पूर्व ही क्षेत्रीय कार्यालय में दी जाने की पुष्टि होती है। केवल निवास स्थल एवं व्यवसाय स्थल में दूरी होने के आधर पर किसी उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना कतई न्याय संगत नही है। हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से पूर्ण रूप से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.02.2010 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।
9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।
10. निर्णय आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुना गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर